सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस

1. अपील संख्याः 82/18 **निर्णय दिनांकः– 19.08.2019**

1. तोलाराम
2. पूनमचन्द

पुत्रगण स्व0 रामनाथ जाति ब्राहमण निवासी कक्कु तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. दुलीचन्द पुत्र राधाकृष्ण
2. गोमन्दराम पुत्र राधाकिशन
3. बालीदेवी पत्नी स्व. नारायणराम
4. बाबुलाल
5. भतीदेवी — पुत्रगण स्व. नारायणराम
6. पुष्पादेवी
7. संतोष देवी
8. अणचीदेवी

जाति ब्राहमण निवासीगण कक्कू तहसील नोखा जिला बीकानेर।

9. किशन सिंह पुत्र चैनसिंह
10. चन्द्र सिंह पुत्र बचन सिंह
11. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

–रेस्पोडेन्ट्स

2. अपील संख्याः 84/18

1. तोलाराम
2. पूनमचन्द

पुत्रगण स्व0 रामनाथ जाति ब्राहमण निवासी कक्कु तहसील नोखा जिला बीकानेर।

–अपीलांट्स

–बनाम–

1. दुलीचन्द पुत्र राधाकृष्ण
2. गोमन्दराम पुत्र राधाकिशन

3. बालीदेवी पत्नी स्व. नारायणराम
4. बाबुलाल
5. भतीदेवी — पुत्रगण स्व. नारायणराम
6. पुष्पादेवी
7. संतोष देवी
8. अणचीदेवी

जाति ब्राहमण निवासीगण कक्कू तहसील नोखा जिला बीकानेर।

9. किशन सिंह पुत्र चैनसिंह
10. चन्द्र सिंह पुत्र बचन सिंह
11. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, नोखा।

—रेस्पोडेन्ट्स

अपीलें विरुद्व निर्णय व डिक्री
दिनांक 04—06—2015 व दिनांक 01—03—2016
उपखण्ड अधिकारी, नोखा

उपस्थितः—

1. श्री दिनेश गहलोत, अभिभाषक अपीलांट्
2. श्री सीताराम बिश्नोई, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट् संख्या 1
3. श्री नन्दराम कॉसनिया, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट् ने यह अपीलें उपखण्ड अधिकारी, नोखा के निर्णय व डिक्री दिनांक 04—06—2015 व आदेश दिनांक 01—03—2065 जिसके द्वारा विधि विरूद्व तरीके से डिक्री पारित की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है ।

2. उपरोक्त दोनो पत्रावलियों में निर्णय हेतु वैधानिक बिन्दु समान होने के कारण उक्त दोनों पत्रावलियों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की एक—एक प्रति दोनों पत्रावलियों में सुरक्षित रखी जावे।

3. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए कथन किया कि वादग्रस्त भूमि ग्राम कक्कू के गत् खसरा नम्बर 112 रकबा 54 बीघा, खसरा नम्बर 301 रकबा 47 बीघा 12 बिस्वा कुल 102 बीघा 10 बिस्वा भूमि संयुक्त खातेदारी की भूमि है। जोकि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स क पूर्वजों के नाम से चली आ रही थी। जिसमें अपीलांट्स के पिता का 1/3 हिस्सा, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 8 का 1/3 हिस्सा तथा हरीराम का 1/3 हक व हिस्सा चला आ रहा था। जिसके अनुसार प्रत्येक खातेदार के हक व हिस्से में 34 बीघा भूमि निहित चली आ रही है। हरीराम के लाऔलाद फौत होने के कारण उसके हक व हिस्से की भूमि अपीलांट्स व रेस्पोडेन्ट्स के हक व हिस्से में बराबर आती है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि पर अपीलांट्स का 1/2 हिस्सा अर्थात 51 बीघा 05 बिस्वा तथा रेस्पोडेन्ट्स संख्या 1 ता 8 के हक में 1/2 हिस्सा अर्थात 51 बीघा 05 बिस्वा भूमि हिस्से में आई। रेस्पोडेन्ट संख्या 2 गोविन्दराम तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ता 8 के पिता नारायणराम ने खसरा नम्बर 112 की 54 बीघा 18 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20—11—1970 को उक्त भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 9 व 10 को विक्रय कर दी गई तथा राजस्व रिकार्ड में उनके नाम यह भूमि अंकित चली आ रही है। ऐसी स्थिति में राधाकिशन के हक व हिस्से की 51 बीघा 05 बिस्वा भूमि से ज्यादा भूमि का विक्रय कर देने के कारण शेष भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 8 का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहता है। उक्त स्थिति दावे में स्पष्ट होने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य पर ध्यान दिये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष तमाम राजस्व रिकार्ड, विक्रय पत्र आदि प्रस्तुत होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तमाम रिकार्ड को नजरअंदाज करते हुए मात्र जमाबन्दी के गलत इन्द्राज को आधार मानते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। यह स्वीकृत स्थिति थी की जब दुलीचन्द, गोविन्दराम व नारायणराम का इस खाते में कोई हक व हिस्सा निहित नहीं था तो पुनः उनका नाम खाते में कैसे आ सकती है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस प्रश्न पर कतई

गौर किये बिना आदेश जैर अपील पारित किया गया है। कानून का यह प्रतिपादित सिद्वान्त है कि कोई भी सहहिस्सेदार अपने हिस्से से अधिक भूमि का विक्रय नहीं कर सकता है। यदि ऐसा किया भी गया है तो ऐसा विक्रय पत्र प्रारम्भ से ही शून्य दस्तावेज की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना रिकार्ड का अवलोकन किये व बिना किसी युक्तियुक्त आधार के आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी त्रूटि कारित की गई है।

उन्होनें आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील कैम्प कोर्ट कक्कु में पारित किया गया है तथा प्रकरण कैम्प कोर्ट दोनों पक्षों की समझाईश हेतु रखा गया था। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सकरार की मंशा के विपरीत जाकर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आदेश पारित किया जाना स्पष्ट रूप से परिलक्षित होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश जैर अपील पारित करते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को खातेदार धोषित किया गया है जोकि गलत है क्योंकि उसके हिस्से में कोई भूमि शेष बची ही नहीं है। इसलिए उसे कानूनन खातेदार धोषित नहीं किया जा सकता है। कानून का यह स्पष्ट सिद्वान्त है कि धोषणा प्राप्त होने के पश्चात् राजस्व रिकार्ड में अंकन के पश्चात् ही विभाजन का वाद लाया जा सकता है, परन्तु इस मामलें में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तीनों रिलिफ एक साथ प्रदान करते हुए कानून के सिद्वान्तों की अवहेलना की गई है।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने आगे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रतिवादी संख्या 1 नारायणराम का स्वर्गवास हो जाने की सूचना प्रस्तुत हुई थी तथा उसके जायज उत्तराधिकारियों को रिकार्ड पर लेने का प्रार्थना पत्र भी प्रस्तुत किया गया था परन्तु उनके विरूद्व कोई कार्यवाही किये बिना ही आदेश जैर अपील पारित किया गया है। कानून की यह स्थिति है कि किसी पक्षकार के फौत होने पर उसके जायज वारिसान को रिकार्ड पर लेते हुए सुनवाई व सबूत का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो कानूनी बिन्दु पर कोई ध्यान दिया गया ना ही अपीलांट को कोई नोटिस अथवा सूचना प्रदान की गई। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचानें व राजस्व कैम्प के आंकड़ों को बढ़ाने क उद्वेश्य मात्र से आदेश जैर अपील पारित किया जाना स्पष्ट रूप से प्रथम दृष्टया ही साबित है। इस प्रकार अदालत मातहत द्वारा कानून के प्रतिपादित सिद्वान्तों की अवहेलना करते हुए आदेश जैर अपील पारित किया गया है। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जाकर अपीलांट् की अपील स्वीकार फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मियांद के संबंध में कथन किया कि चूंकि अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर राजस्व कैम्प का सहारा लेते हुए पारित किया गया है। ऐसे एकतरफा व विधि विरूद्व आदेश पर मियांद अधिनियम बाधक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद शुमार धोषित की जावे।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपने कथन के समर्थन में एआईआर 1985 एससी पेज 606, आरएलडब्ल्यू 2008 पार्ट II पेज 1142, आरआरटी 2002 पार्ट I पेज 648, एआईआर 1987 एससी पेज 1353, आरएलडब्ल्यू 2009 पार्ट I पेज 151 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

5. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने अपनी बहस में बताया कि वादगत् भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी भूमि है। वादग्रस्त भूमि खेत खसरा नम्बर 112 तादादी 54 बीघा 18 बिस्वा व खेत खसरा नम्बर 301 तादादी 47 बीघा 12 बिस्वा कुल 102 बीघा 10 बिस्वा भूमि वाके रोकी कक्कू संयुक्त खातेदार राधाकिशन, हरिराम व रामनाथ पुत्रगण खुमा थे। जिसमें प्रत्येक का 1/3 हक व हिस्सा निहित है। प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 ने बिना विभाजन करवाये संयुक्त खाते की भूमि के खसरा नम्बर 54 बीघा 18 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20—10—1970 को प्रतिवादी संख्या 5 व 6 को विक्रय कर दी गई तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तरणकरण संख्या 582 दिनांक 12—02—1971 को तस्दीक किया गया। जिसे निरस्त करवाने व खातेदार काश्तकार धोषित करने का वाद अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने आगे बताया कि प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उनके समक्ष प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर यह साबित था कि वादग्रस्त भूमि के पूर्व खातेदार राधाकिशन की मृत्यु के उपरान्त उनके हिस्से की भूमि वादी/प्रतिवादीगण संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हुई। प्रतिवादी संख्या 1 नारायणराम व प्रतिवादी संख्या 2 गोविन्दराम द्वारा उक्त भूमि के पूर्व खसरा नम्बर 112 व 301 की 102 बीघा 10 बिस्वा भूमि में से अपने हिस्से की भूमि 23 बीघा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 20—10—1970 को विक्रय कर दी गई। ऐसीस्थिति में वादग्रस्त भूमि में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का कोई हक व हिस्सा शेष नहीं रहता है। उक्त स्थिति सामने होते हुए भी सहवन से वादग्रस्त भूमि पुराना खसरा नम्बर 301 तादादी 47 बीघा 12 बिस्वा के नये खसरा नम्बर 1279 रकबा 12.04 हेक्टर नारायणराम, दुलीचन्द व गोमन्दराम पिसरान राधाकिशन के नाम दर्ज हो गये जबकि नारायणराम व गोविन्दराम द्वारा अपने हक व हिस्से की भूमि का पूर्व में ही विक्रय किया जा चुका था। ऐसी स्थिति में राजस्व रिकार्ड से प्रतिवादी संख्या 1 नारायणराम व प्रतिवादी संख्या 2 गोविन्दराम का नाम हटाया जाकर उनके हिस्से में दर्ज भूमि सह खातेदार हरीराम पुत्र खुमाराम के लाऔलाद फौत होने के कारण उसके धारण की भूमि का 1/3 हिस्सा में से 1/2 हिस्से की भूमि वादी के नाम तथा 1/2 हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के नाम बहिस्सा बराबर खातेदार धोषित किया गया है। उक्त आदेश तमाम राजस्व रिकार्ड के अवलोकन के पश्चात् पारित किया गया आदेश है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा सभी पक्षकारों के हितों को ध्यान में रखते हुए न्यायपूर्ण तरीके से पक्षकारों के हक व हिस्से का निर्धारण करते हुए पक्षकारों को खातेदार काश्तकार धोषित किया जाकर पक्षकारों के मध्य बाई मिट्स एण्ड बाऊण्ड्स खाता विभाजन के आदेश प्रदान किये गये है। जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि नहीं है। अपीलांट मात्र तकनीकी आधार का सहारा लेते हुए अपील के माध्यम से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित युक्तियुक्त व न्यायसंगत निर्णय को खारिज करवाना चाहते है। जिसकी कानून कतई अनुमति प्रदान नहीं करता है। लिहाजा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश जैर अपील में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने कथन किया कि अपीलांट द्वारा अपील स्पष्ट रूप से मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपील में मियांद कण्डोन करने के वर्णित कारण संतोषजनक नहीं है। अतः अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर ही खारिज फरमाई जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट ने अपने कथन के समर्थन में डीएनजे 1999 पेज 56, आरआरडी 1964 पेज 338, आरआरडी 1955 पेज 252, आरआरटी 2015 पार्ट I पेज 232, आरबीजे 2016 पेज 20, आरआरटी 2014 पार्ट I पेज 154, आरएलडब्ल्यू 2013 पार्ट II पेज 1248 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

6. विद्वान अभिभाषक अपीलांट की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

7. प्रकरण में जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलांट द्वारा अपीलाधीन आदेश दिनांक 04—06—2015 व आदेश दिनांक 01—03—2016 के विरूद्व अपील दिनांक 26—09—2018 को तीन साल के विलम्ब के साथ पेश की गई है। रेस्पोडेन्ट के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलांट जानबूझकर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये है जबकि उन्हें प्रकरण की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है। इस संबंध में अपीलाधीन आदेश व अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिकाओं का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश अपीलांट की पीठ पीछे तथा राजस्व शिविर में पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट द्वारा मियांद के संबंध में प्रस्तुत नजीरें मामलें पर पूर्णतया चस्पा नहीं होती है। न्याय की यह मंशा रही है कि यदि एकतरफा कार्यवाही के उपरान्त भी उपलब्ध रिकार्ड तथा कानूनी प्रावधानों के विपरीत निर्णय हुआ हो तो ऐसे निर्णय का गुणावगुण के आधार पर परीक्षण होना चाहिए। कानूनी प्रावधानों के विपरीत तथा प्रभावित पक्षकार के साथ घोर अन्याय की स्थिति में विलम्ब का प्रश्न गौण हैं अतः अपीलांट की धारा 5 मियांद अधिनियम की दरखवाश्त स्वीकार की जाकर अपील पेश करने में हुए विलम्ब का शमन किया जाता है।

प्रकरण में जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, वादी दुलीचन्द द्वारा दिनांक 05—10—2012 को प्रस्तुत वाद मे वादपत्र के बिन्दु संख्या 9 में दिनांक 12—02—1971 को स्वीकृत इंतकाल को शून्य धोषित करवाकर राधाकिशन के हिस्से की भूमि उसके शेष दो भाईयों में बराबर—बराबर करने तथा उक्त प्रकार से हिस्से की धोषणा के आधार पर तैयार रिकार्ड के आधार पर खातेदार काश्तकार धोषित करवाने व भूमि का विभाजन करने के अनुतोष पर आधारित वाद पेश किया गया।

वाद का मुख्य अनुतोष 42 वर्ष पूर्व स्वीकृत इंतकाल को शून्य धोषित करते हुए उक्त तिथि की राजस्व रिकार्ड की स्थिति को बहाल करना तथा गत् 42 वर्षो के दौरान मृतक खातेदारों के वारिसों के विरासतन अधिकारों तथा विक्रयपत्रों के आधार पर खातेदारी अधिकारों की धोषणा का था। सन् 1971 के विक्रय तथा उक्त विक्रय पत्र के आधार पर इंतकाल को निष्प्रभावी धोषित करने से संबंधित वाद 42 साल बाद पेश किया गया। विलम्ब का कारण तथा वादकारण स्पष्ट नहीं किया गया। मूल अनुतोष खातेदारी अधिकारों की धोषणा का था। उक्त धोषणा होने के उपरान्त पक्षकारों का हिस्सा निर्धारित होना चाहिए था तथा उक्त हिस्सों के आधार पर किसी पक्षकार द्वारा विभाजन का वाद लाया जाता। निर्णय कानूनी प्रावधानो व राजस्व रिकार्ड एवं वांछित साक्ष्यों का परीक्षण किये बिना पारित किया गया है। जो संधारणीय नहीं है।

8. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपीलें आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नोखा का अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 04—06—2015 व आदेश दिनांक 01—03—2016 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि वे पक्षकारों को पुनः सुनवाई तथा शहादत पेश करने का अवसर प्रदान करते साक्ष्यों का परीक्षण करते हुए तथा अपीलांट् की आपत्तियों को सुनने के उपरान्त नये सिरे से प्रकरण का निस्तारण करें।

9. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 19—08—2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर